



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : अलीगढ़, जनपद : अलीगढ़, तहसील : अतरौली
वाद संख्या : 04311/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201818020504311
शोविन्दा बसंत बनाम उ०प्र० सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

अक्षिप्त भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उपरोक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होगा पाया जाता है तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर दिया जायेगा। यह आदेश एक घोषणा मात्र है किसी अन्य प्रयोजन की अनुमति नहीं है। उपरोक्तानुसार भूराजस्व खाते से मुक्त किया जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। राजस्व अगिलेख खातों में इस आदेश का इन्दाज वर्षानुवर्ष किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार अतरौली व उपनिबंधक अतरौली को भेजी जावे। अनुपालन के उपरान्त पत्रावली संचित की जावे।
दिनांक : 08.12.2018

(Signature)
(शिव कुमार)
उपजिलाधिकारी अतरौली
अलीगढ़

नकल प्रारंभ पत्र का दि०... 16-12-18
नकल तहसील दि०... 17-12-18
नकल जारी दि०... 17-12-18



प्राप्तिका
रक्षक
सहायक
सहायक



11/12/18
0
F
11
वा
र